

कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 10244 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2024

रायपुर,

दिनांक: 08.11.2024

नीट एमडी/एमएस शैक्षणिक सत्र 2024-25 की काउंसिलिंग में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाईन पंजीयन फार्म में दिये गये एडिट ऑप्शन के संबंध में सूचना

प्रवेश वर्ष - 2024 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, कि नीट एमडी/एमएस शैक्षणिक सत्र 2024-25 की काउंसिलिंग में ऑनलाईन पंजीयन फार्म में दिये गये एडिट ऑप्शन का चयन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना अनिवार्य है:-

1. यदि कोई अभ्यर्थी एडिट ऑप्शन का चयन करता है, तत्पश्चात् Application Form अपूर्ण छोड़ देता है, तो वह काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर माना जायेगा।
2. यदि कोई अभ्यर्थी एडिट ऑप्शन में अपनी Category या Quota परिवर्तन करता है, तो उसे Category या Quota का अतिरिक्त शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने पर वे काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर माने जायेंगे।


उदाहरण:- (अ) यदि OBC का अभ्यर्थी UR में आवेदन करना चाहता है, तो उसे अनारक्षित वर्ग का शुल्क अदा करना होगा।

(ब) यदि Govt College में आवेदन किया अभ्यर्थी Private College में आवेदन करना चाहता है, तो उसे Private College का शुल्क अदा करना होगा।

3. जैसे ही अभ्यर्थी एडिट ऑप्शन चयन करेगा उसके द्वारा पूर्व में भरी गई संस्था चयन (Choice filling) शून्य हो जायेगी एवं उसे पुनः संस्था चयन (Choice filling) करना होगा।
4. आवेदन में एडिट ऑप्शन की सुविधा पंजीयन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगी।

अतः प्रवेश वर्ष - 2024 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी उपरोक्त सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें ताकि काउंसिलिंग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

(संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


08/11/2024
अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.